बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट आवंटन–17 / 2014– 173 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 28-11-2014

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषयः **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रूपये (अन्ठानवे करोड़ रूपये) के विरूद्ध तत्काल 8292.00 लाख रूपये (बेरासी करेाड़ बेरानवे लाख रूपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 6882.36 लाख रूपये (अरसठ करोड़ बेरासी लाख छत्तीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹68,82,36,000 (अरसठ करोड़ बेरासी लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–03 / 2014–5134, दिनांक–20.11.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रूपये (अन्ठानवे करोड़ रूपये) के विरूद्ध तत्काल 8292.00 लाख रूपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रूपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 6882.36 लाख रूपये (अरसठ करोड़ बेरासी लाख छत्तीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹68,82,36,000 (अरसठ करोड़ बेरासी लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹68,82,36,000 (अरसठ करोड़ बेरासी लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1–उपशीर्ष– 0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड–P2401001090216, विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष, 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि०(2)दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–6720 वि० (2) दिनांक–25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-25-12-2014.doc

ज्ञापांक 173 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-11-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक 173 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 28-11-2014

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/प्रभारी पदधिकारी कृषि यांत्रिकरण/उप कृषि निदेशक केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।